न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 23 / 2026 जीसीएमएस मु.न. 2026 / 57

अनवान

1. वसाराम पुत्र प्रकाश उर्फ भंवरराम जाति (कुम्हार) प्रजापति निवासी गोलासन तहसील सांचोर।
2. जगदीशकुमार पुत्र प्रकाश उर्फ़ भंवरराम जाति (कुम्हार) प्रजापति निवासी गोलासन।
3. टीकमाराम पुत्र प्रकाश उर्फ भंवरराम जाति (कुम्हार) प्रजापति निवासी गोलासन।
4. मुंगीदेवी पत्नी प्रकाश उर्फ़ भंवरराम जाति (कुम्हार। प्रजापति निवासी गोलासन ।
5. पांखीदेवी पुत्री प्रकाश उर्फ़ भंवरराम जाति (कुम्हार) प्रजापति निवासी गोलासन ।
6. मंजूदेवी पुत्री प्रकाश उर्फ़ भंवरराम जाति (कुम्हार) प्रजापति निवासी गोलासन तहसील सांचोर।
7. वसंती पुत्री प्रकाश उर्फ़ भंवरराम जाति (कुम्हार) प्रजापति निवासी गोलासन तहसील सांचोर।
8. नर्मदाबेन पुत्री प्रकाश उर्फ़ भंवरराम जाति (कुम्हार। प्रजापति निवासी गोलासन।
9. गीताकुमारी पुत्री प्रकाश उर्फ़ भंवरराम जाति {कुम्हार) प्रजापति निवासी गोलासन।
10. प्रियंका कुमारी पुत्री प्रकाश उर्फ़ भंवरराम जाति (कुम्हार) प्रजापति निवासी गोलासन तहसील सांचोर जिला जालोर।

वादीगण......

1. हरदेवा पुत्र रतना जाति (कुम्हार) प्रजापति निवासी गोलासन तहसील सांचोर जिला जालोर।
2. ओखीदेवी पत्नी उकाराम जाति कलबी निवासी गोलासन तहसील सांचोर जिला जालोर।
3. पांचाराम पुत्र उकाराम जाति कलबी निवासी गोलासन तहसील सांचोर जिला जालोर।
4. मूलाराम पुत्र उकाराम जाति कलबी निवासी गोलासन तहसील सांचोर जिला जालोर।
5. कमी पत्नी केहराराम जाति कलबी निवासी गोलासन तहसील सांचोर जिला जालोर।
6. काजाराम पुत्र केहराराम जाति कलबी निवासी गोलासन तहसील सांचोर जिला जालोर।
7. जेवोदेवी पत्नी नारणाराम जाति कलबी निवासी गोलासन तहसील सांचोर जिला जालोर।
8. नरेन्द्र कुमार पुत्र नारणाराम जाति कलबी निवासी गोलासन तहसील सांचोर जिला जालोर।
9. मूंगाराम पुत्र नारणाराम जाति कलबी निवासी गोलासन तहसील सांचोर जिला जालोर।
10. देवाराम पुत्र भगवाना जाति ब्राह्मण निवासी गोलासन तहसील सांचोर जिला जालोर।
11. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचोर

प्रतिवादीगण...........

दावा बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने अंतर्गत धारा 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

रजु तारीखः—11.02.2026

उपस्थिति :—

1. श्री लाधुसिंह किलवा, श्री मासींगाराम देवासी वादीगण अधिवक्ता।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्रीमती डिम्पल माहेश्वरी।
3. प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

सहायक कलेक्टर, सांचौर

–: निर्णय :–

दिनांकः–09.03.2026

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया। जिसके कथन संक्षेप में वाद के अनुसार इस प्रकार है कि वाके मौजा ग्राम गोलासन, पटवार हल्का गोलासन में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खाता संख्या 49 के खसरा नम्बर 867 रकबा 3.13 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 868 रकबा 1.54 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 883 रकबा 0.01 हेक्टेयर तथा खसरा नम्बर 884 रकबा 3.34 हेक्टेयर, कुल रकबा 8.02 हेक्टेयर, खेत खाता संख्या 165 के खसरा नम्बर 1388/974 रकबा 1.93 हेक्टेयर तथा खेत खाता संख्या 162 के खसरा नम्बर 974/1166 रकबा 3.13 हेक्टेयर स्थित है, जिसकी नकल जमाबंदी संलग्न है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण के पति/पिता श्री प्रकाश पुत्र रतना जाति कुम्हार (प्रजापति) का राजस्व अभिलेखों में 3/8 हिस्सा दर्ज है। श्री प्रकाश पुत्र रतना को गाँव में घरेलू रूप से भंवराराम पुत्र रतनाराम के नाम से भी जाना जाता है, जिस कारण आधार, जनआधार, राशन कार्ड एवं वोटर पहचान पत्र आदि में उनका नाम भंवराराम पुत्र रतनाराम दर्ज है। दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, जिसकी पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है। दिनांक 25–01–2026 को श्री प्रकाश पुत्र रतना की मृत्यु हो गई। वे हिन्दू विधि से शासित होते हुए निर्वसीयत फौत हुए तथा उनके पश्चात वादीगण ही उनके एकमात्र विधिक वारिस हैं। वादीगण द्वारा दिनांक 03–02–2026 को पटवारी हल्का के समक्ष फौतेदगी नामांतरण हेतु आवेदन किया गया, किन्तु नाम में भिन्नता होने के कारण पटवारी द्वारा नामांतरण खोलने में असमर्थता व्यक्त कर न्यायालय में खातेदारी घोषणा का दावा प्रस्तुत करने की सलाह दी गई। निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी में दर्ज अपने पिता/पति के हिस्से पर वादीगण सपरिवार वर्षों से बनी हुई रहवासी ढाणी में निवासरत हैं तथा अपने हिस्से की भूमि पर शांति पूर्वक कब्जा काश्त रखते हुए नियमित रूप से खेती करते आ रहे हैं। उक्त भूमि पैतृक है और उस पर वादीगण का वैध कब्जा व अधिकार है। अतः प्रार्थना है कि वाके मौजा ग्राम गोलासन, पटवार हल्का गोलासन स्थित उपर्युक्त खेत खातों की भूमि में राजस्व अभिलेखों में दर्ज श्री प्रकाश पुत्र रतना जाति कुम्हार (प्रजापति) के 3/8 हिस्से पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रदान करने की कृपा की जाये।

2. उक्त प्रकरण दिनांक 11.02.2026 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भिजवाकर तलब किया, प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्रीमती डिम्पल माहेश्वरी। प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

3. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्रीमती डिम्पल माहेश्वरी द्वारा द्वारा जवाब पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः– वादपत्र के अवतरण संख्या 1 से 15 सही होने से स्वीकार है तथा वादग्रस्त आराजी में प्रकाश पुत्र रतना जाति कुम्हार { प्रजापति } के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज 3/8 हिस्सा की भूमि में वारिसान के रूप में वादीगण के खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री जारी की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है तथा हमारी पूर्ण सहमती है।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

4. प्रकरण में उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के पति/पिता प्रकाश पुत्र रतना, जाति– कुम्हार (प्रजापति) का 3/8 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं परन्तु गांव के आधार, जनआधार, राशन कार्ड, वोटर परिचय–पत्र में इनका नाम भंवरलाल पुत्र रतनाराम दर्ज हो गया है, परन्तु उक्त दोनों नाम का एक ही व्यक्ति है तथा वादीगण के पति/पिता प्रकाश पुत्र रतना की दिनांक 25.01.2026 को मृत्यु हो जाने से उक्त वादग्रस्त आराजी के वादीगण के उत्तराधिकारी होने से वादीगण के नाम खातेदारी घोषित की जावें। वादीगण ने वादपत्र के समर्थन में पेश कार्यालय ग्राम पंचायत गोलासन द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार प्रकाश पुत्र रतना, जाति कुम्हार (प्रजापति), निवासी–गोलासन की मृत्यु दिनांक 25.01.2026 को हुई हैं प्रकाश पुत्र रतना को गांव में प्रकाश के साथ–साथ घरेलु रूप से भंवराराम के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए राजस्व रेकर्ड में प्रकाश पुत्र रतना जाति–कुम्हार (प्रजापति) दर्ज है, परन्तु गांव के जन–आधार कार्ड वगैरह में इनका नाम भंवराराम पुत्र रतनाराम दर्ज हो गया हैं, परन्तु उक्त दोनों नाम का एक ही व्यक्ति है कोई अलग–अलग व्यक्ति नहीं है। प्रकाश उर्फ भंवराराम की मृत्यु के पश्चात् इनके पिछे वसाराम पुत्र प्रकाश उर्फ भंवराराम वगैरह हैं विधिक जायन्दा वारिशान् है, बाबत् दिनांक 03.02.2026 को मृत्यु प्रमाण–पत्र जारी किया गया है। भंवराराम पुत्र रतनाराम का मृत्यु प्रमाण–पत्र जारी किया गया।

5. प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के अधिवक्ता अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादपत्र का अवतरण संख्या 1 से 15 सही होने से स्वीकार है, तथा वादग्रस्त आराजी में प्रकाश पुत्र रतना, जाति– कुम्हार (प्रजापति) के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज 3/8 हिस्सा की भूमि में वारिशान् के रूप में वादीगण के नाम खातेदारी की घोषणा की जाती है तो हमें कोई उजर–आपत्ति नहीं है।

6. इस प्रकार प्रतिवादीगण ने वादीगण के वादपत्र का खण्डन न कर वादपत्र के अवतरण संख्या 1 से 15 को सही होना स्वीकार किया है तथा कार्यालय ग्राम पंचायत गोलासन द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 03.02.2026 अनुसार प्रकाश व भंवराराम एक ही व्यक्ति हैं तथा प्रकाश उर्फ भंवराराम की मृत्यु के पश्चात् इनके वारिशान् वादीगण है। वांके सरहद मौजा गोलासन की जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के नया खाता संख्या 49 में खेत खसरा संख्या 867, 868, 883, 884 जुमले रकबा 8.02 हैक्टेयर में प्रकाश पुत्र रतना हिस्सा 3/8 जाति–कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार, इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 नया खाता संख्या 165 व 162 में खेत खसरा संख्या 1388/974 रकबा 1.93 हैक्टेयर व खेत खसरा संख्या 974/1166 रकबा 3.13 हैक्टेयर में प्रकाश पुत्र रतना हिस्सा 3/8, जाति–कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार दर्ज है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकाश पुत्र रतना, जाति–कुम्हार (प्रजापति), निवासी–गोलासन व भंवरलाल पुत्र रतनाराम, जाति–कुम्हार (प्रजापति), निवासी–गोलासन एक ही व्यक्ति हैं तथा मृत्यु प्रमाण–पत्र अनुसार इनकी मृत्यु हो चुकी है तथा इनके जायज वारिशान् वादीगण होने से वादीगण का वाद उपरोक्तानुसार स्वीकार योग्य है।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर जिला जालोर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

अनवानः– वसाराम बनाम हरदेवा
मुकदमा नम्बर 23 / 2026
निर्णय तारीखः– 09.03.2026

–:: आदेश ::–

उपर्युक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वाके सरहद मौजा गोलासन के खेत खसरा संख्या 867, 868, 883, 884 जुमले रकबा 8.02 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1388 / 974 रकबा 1.93 हैक्टेयर खसरा संख्या 974 / 1166 रकबा 3.13 हैक्टेयर भूमि में प्रकाश पुत्र रतना, जाति– कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार हिस्सा 3 / 8 के स्थान पर वादीगण वसाराम, जगदीश कुमार, टीकमाराम पिसरान् प्रकाश उर्फ भंवराराम, मूंगीदेवी पत्नी प्रकाश उर्फ भंवराराम, पांखीदेवी, मंजूदेवी, वसंती, नर्मदा बेन, गीता कुमारी, प्रियंका कुमारी पुत्रीयॉ प्रकाश उर्फ भंवराराम, जातियान कुम्हार (प्रजापति), निवासीगण– गोलासन के नाम संयुक्त रूप से 3 / 8 हिस्से की खातेदारी घोषित की जाती है। उपरोक्तानुसार तहसीलदार सांचौर राजस्व रेकर्ड में अमलदरादमद करें। इस हेतु पृथक से तहसीलदार सांचौर के नाम तहरीर जारी हो। तद्नुसार डिक्री पर्चा मूर्तिब हों। पक्षकारान् अपना–अपना खर्चा वहन करें। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर
सांचौर जिला–जालोर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक 09.03.2026 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सांचौर जिला–जालोर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

अनवान

1. वसाराम पुत्र प्रकाश उर्फ भंवराराम जाति (कुम्हार) प्रजापति निवासी गोलासन तहसील सांचोर।
2. जगदीशकुमार पुत्र प्रकाश उर्फ़ भंवराराम जाति (कुम्हार) प्रजापति निवासी गोलासन।
3. टीकमाराम पुत्र प्रकाश उर्फ भंवराराम जाति (कुम्हार) प्रजापति निवासी गोलासन।
4. मुंगीदेवी पत्नी प्रकाश उर्फ़ भंवराराम जाति (कुम्हार। प्रजापति निवासी गोलासन ।
5. पांखीदेवी पुत्री प्रकाश उर्फ़ भंवराराम जाति (कुम्हार) प्रजापति निवासी गोलासन ।
6. मंजूदेवी पुत्री प्रकाश उर्फ़ भंवराराम जाति (कुम्हार) प्रजापति निवासी गोलासन तहसील सांचोर।
7. वसंती पुत्री प्रकाश उर्फ़ भंवराराम जाति (कुम्हार) प्रजापति निवासी गोलासन तहसील सांचोर।
8. नर्मदाबेन पुत्री प्रकाश उर्फ़ भंवराराम जाति (कुम्हार। प्रजापति निवासी गोलासन।
9. गीताकुमारी पुत्री प्रकाश उर्फ़ भंवराराम जाति (कुम्हार) प्रजापति निवासी गोलासन।
10. प्रियंका कुमारी पुत्री प्रकाश उर्फ़ भंवराराम जाति (कुम्हार) प्रजापति निवासी गोलासन तहसील सांचोर जिला जालोर ।

वादीगण......

1. हरदेवा पुत्र रतना जाति (कुम्हार) प्रजापति निवासी गोलासन तहसील सांचोर जिला जालोर।
2. ओखीदेवी पत्नी उकाराम जाति कलबी निवासी गोलासन तहसील सांचोर जिला जालोर।
3. पांचाराम पुत्र उकाराम जाति कलबी निवासी गोलासन तहसील सांचोर जिला जालोर।
4. मूलाराम पुत्र उकाराम जाति कलबी निवासी गोलासन तहसील सांचोर जिला जालोर।
5. कमी पत्नी केहराराम जाति कलबी निवासी गोलासन तहसील सांचोर जिला जालोर।
6. काजाराम पुत्र केहराराम जाति कलबी निवासी गोलासन तहसील सांचोर जिला जालोर।
7. जेवोदेवी पत्नी नारणाराम जाति कलबी निवासी गोलासन तहसील सांचोर जिला जालोर।
8. नरेन्द्र कुमार पुत्र नारणाराम जाति कलबी निवासी गोलासन तहसील सांचोर जिला जालोर।
9. मूंगाराम पुत्र नारणाराम जाति कलबी निवासी गोलासन तहसील सांचोर जिला जालोर।
10. देवाराम पुत्र भगवाना जाति ब्राह्मण निवासी गोलासन तहसील सांचोर जिला जालोर।
11. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचोर

प्रतिवादीगण.................

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचोर जिला जालोर

दावा बाबत खातेदारी घोषणा एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 23/2026

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीगण की ओर से वकील श्री लाधुसिंह किलवा, श्री मासिंगाराम देवासी उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की ओर से

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचोर)

अधिवक्ता श्री डिम्पल माहेश्वरी। प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाके सरहद मौजा गोलासन के खेत खसरा संख्या 867, 868, 883, 884 जुमले रकबा 8.02 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1388 / 974 रकबा 1.93 हैक्टेयर खसरा संख्या 974 / 1166 रकबा 3.13 हैक्टेयर भूमि में प्रकाश पुत्र रतना, जाति– कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार हिस्सा 3 / 8 के स्थान पर वादीगण वसाराम, जगदीश कुमार, टीकमाराम पिसरान् प्रकाश उर्फ भंवरराम, मूंगीदेवी पत्नी प्रकाश उर्फ भंवरराम, पांखीदेवी, मंजूदेवी, वसंती, नर्मदा बेन, गीता कुमारी, प्रियंका कुमारी पुत्रीयॉ प्रकाश उर्फ भंवरराम, जातियान कुम्हार (प्रजापति), निवासीगण– गोलासन के नाम संयुक्त रूप से 3 / 8 हिस्से की खातेदारी घोषित की जाती है। तथा उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादीगण एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे व न ही किसी अन्य से करावे, इस आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तथा तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरस्ती की जावे। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

बशर्ते मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 09.03.2026 को जारी की गई।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीश्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	मौजाना	1	00

सहायक कलेक्टर सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
जिला जालोर